



दी बाड़मेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, बाड़मेर प्रधान कार्यालय , महावीर नगर बाड़मेर

Email : dccb.barmer@rajasthan.gov.in

Phone no. : 02982-220345, 220461

क्रमांक : BCCB/A&F/14027

दिनांक : 15/03/2024

ऋणों पर ब्याज दरों में संशोधन परिपत्र

बैंक प्रशासक महोदय द्वारा किये गए निर्णय दिनांक 15/03/2024 के अनुसार दिनांक 01/04/2024 से बैंक द्वारा वितरित किये जाने वाले नवीन ऋणों पर ब्याज दरों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

अ. सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित अल्पकालीन ऋणों पर

क्र.सं.	विवरण	संशोधित ब्याज दर		अवधिपार ऋण ब्याज दर	
		सीसीबी द्वारा पेक्स से	पेक्स द्वारा सदस्यों से	सीसीबी द्वारा पेक्स से	पेक्स द्वारा सदस्यों से
1	अल्पकालीन फसली ऋण (खरीफ / रबी)	5.00	7.00	7.00	10.00
2	अल्पकालीन पशुपालन/ मतस्य पालन ऋण (खरीफ / रबी)	5.00	7.00	7.00	10.00

ब. सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित ऋणों पर

क्र.सं.	विवरण	संशोधित ब्याज दर		अवधिपार ऋण ब्याज दर
		सीसीबी द्वारा पेक्स से	पेक्स द्वारा सदस्यों से	
A	मध्यकालीन कृषि ऋण			
1	डेयरी ,भेड बकरी	10.50	12.50	12.50
2	स्वयं सहायता समूह	10.50	12.50	12.50
3	एसजीएसवाई (कृषि)	10.50	12.50	12.50
B	मध्यकालीन अकृषि ऋण			
1	स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण यथा परचूनी दुकान, सब्जी ठेला, कशीदाकारी आदि	10.50	12.50	12.50

स- बैंक के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से वितरित ऋण

C कृषि ऋण

क्र.सं.	विवरण	संशोधित ब्याज दर	अवधिपार ऋण ब्याज दर
1	फार्म मेकेनाइजेशन (ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरण)	11.00	14.00
2	डेयरी डवलपमेन्ट एवं अन्य प्रोजेक्ट ऋण	11.00	14.00
3	स्वयं सहायता समूह	12.00	15.00
4	कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना	7.00	10.00
5	सहकार किसान कल्याण ऋण योजना	11.00	14.00
6	महिला सहकारी समितियों को ऋण	13.00	16.00

D अकृषि ऋण

क्र.सं.	विवरण	संशोधित ब्याज दर	अवधिपार ऋण ब्याज दर
7	कम्पोजिट / इंटीग्रेटेड ऋण, होटल/ मोटल एवं उद्योग हेतु	11.00	16.00
8	जीप कार टेक्सी	10.50	15.50
9	व्यक्तिगत ऋण	12.00	17.00



दी बाड़मेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि०, बाड़मेर


प्रधान कार्यालय , महावीर नगर बाड़मेर

Email : dccb.barmer@rajasthan.gov.in

Phone no. : 02982-220345, 220461

10	आवास ऋण		
10-1	आवास ऋण	9.75	12.75
10-2	आवास मैक्सगैन ऋण	9.75	12.75
10-3	आवास टॉप-अप ऋण	9.75	12.75
11	अचल सम्पति रहन के विरुद्ध ऋण / मोरगेज ऋण	12.00	15.00
12	ज्ञान सागर ऋण योजना	11.50	13.50
13	सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड / स्वरोजगार योजना Term Loan		
13-1	रु. 25000 तक का	14.00	19.00
13-2	रु. 25000 से अधिक	13.50	18.50
14	विकलांग विश्वास योजना	12.00	17.00
15	NSC/ KVP पर ऋण	11.00	14.00
16	ट्रेडर्स लिमिट / कार्यशील पूंजी		
16-1	रु. 500000/- तक	10.00	15.00
16-2	रु. 500000/- से अधिक	11.00	16.00
17	सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड / स्वरोजगार के तहत स्वीकृत साख सीमा CC Limit		
17-1	रु. 25000 तक का	13.00	18.00
17-2	रु. 25000 से अधिक	13.00	18.00
18	पेक्स को खाद बीज हेतु नकद साख सीमा	11.00	14.00
19	पेक्स को नियंत्रित / अनियंत्रित व्यापार हेतु नकद साख सीमा	11.00	14.00
20	उपभोक्ता होलसेल भंडार / मारकेटिंग एवं इनोवेटिव समितियों को के पक्ष में नकद साख सीमा	11.50	13.50
21	सहकार ग्राम आवास योजना	10.50	13.50
22	राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका	10.00	12.00
23	राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका	10.25	12.25
24	बैंक स्टाफ हेतु		
24-1	NSC/ KVP के प्रति ऋण	7.50	9.50
24-2	व्यक्तिगत साख सीमा	7.50	9.50
24-3	आवास ऋण	7.00	9.00

उपरोक्त संशोधित ब्याज दरें दिनांक 01/04/2024 से प्रभावी रहेंगी।


(अनिल बिश्नोई)
प्रबंध निदेशक
दिनांक : 15/03/2024

क्रमांक : BCCB/A&F/14028-33

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिशाषी अधिकारी, प्रधान कार्यालय, बैंक।
2. मुख्य प्रबंधक, प्रधान कार्यालय, बैंक।
3. अनुभाग अधिकारी, अनुभाग समस्त, प्रधान कार्यालय, बैंक।
4. अनुभाग अधिकारी, ऋण अनुभाग, प्रधान कार्यालय बैंक को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त ऋणों पर संशोधित ब्याज दरों को बैंक के दिनांक 01.04.2024 से खोले गए नवीन खातों पर CBS सिस्टम में लागू करवाने हेतु शीर्ष बैंक से पैरामीटर स्तर पर प्रोडक्ट बनवाने का कार्य करे।
5. शाखा प्रबंधक, शाखा समस्त को भिजवाकर लेख है कि एक प्रति समस्त स्टाफ को नोट करावे साथ ही शाखा सूचना पट्ट पर भी चस्पा कराते हुए प्रचार-प्रसार करे।
6. कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्रधान कार्यालय, बैंक को निर्देश दिए जाते हैं की बैंक की Website पर उपरोक्त संशोधित ब्याज दरें डिस्प्ले करे।


प्रबंध निदेशक